भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 203/फोटोकॉपी मशीन/ईसीआई/प्रकार्या./प्रशा./ भं. एवं क्र./2016 **दिनांक : 08.12.2016**

निविदा सूचना

विषय : फोटोकॉपी करने के कार्य, सैट बनाने, स्पाइरल बाईंडिंग इत्यादि के लिए ऑउटसोर्सिंग।

भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में फोटोकॉपी करने के कार्य, सैट बनाने, स्पाइरल बाईंडिंग इत्यादि के लिए प्रतिष्ठित और वित्तीय रूप से ठोस फर्मों से निम्नलिखित पैराग्राफ में क्रमांकित निबंधन और शर्तों पर संविदा प्रदान करने की तारीख से प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता है। निविदा दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस पर कार्यावधि के दौरान अनुभाग अधिकारी (भण्डार एवं क्रय), कमरा सं. 302, तृतीय तल, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

सभी दरें सिर्फ निविदा सूचना के साथ संलग्न निर्धारित फार्मेट (अर्थात अनुबंध 'क', वाणिज्यिक बोली) में उद्धृत की जाएं।

1. निविदाकारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(i) निविदा **द्विबोली प्रणाली अर्थात् तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली के** अंतर्गत आमंत्रित की गई है। इच्छुक एजेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे दो मुहरबंद लिफाफे, जिन पर **"भारत निर्वाचन आयोग में फोटोकॉपी करने के कार्य, सैट बनाने, स्पाइरल बाईंडिंग इत्यादि के लिए ऑउटसोर्सिंग हेतु तकनीकी बोली"** और **"भारत निर्वाचन आयोग में फोटोकॉपी करने के कार्य, सैट बनाने, स्पाइरल बाईंडिंग इत्यादि के लिए ऑउटसोर्सिंग हेतु वाणिज्यिक बोली"** लिखा होना चाहिए, प्रस्तुत करें। इन दोनों मुहरबंद लिफाफों को तीसरे मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर **"भारत निर्वाचन आयोग में फोटोकॉपी करने के कार्य, सैट बनाने, स्पाइरल बाईंडिंग इत्यादि के लिए ऑउटसोर्सिंग हेतु निविदा बोली"** लिखा होना चाहिए।

(ii) इच्छुक डीलर/फर्में अन्य अपेक्षित दस्तावेजों सहित सभी तरह से पूर्ण संविदा दस्तावेज दिनांक **30.12.2016** के अपराह्न **3:00** बजे तक सचिव (सामान्य प्रशासन), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110 001** को जमा करा सकते हैं। मुहरबंद निविदाएं निर्वाचन सदन के भूतल पर स्थित प्राप्ति एवं प्रेषण (आर & आई) अनुभाग में भी जमा कराई जा सकती हैं। निविदा जमा कराने की निर्धारित तारीख और समय के पश्चात देरी से प्राप्त / विलंबित हुई निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग डाक में गुम होने / विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(iii) **सशर्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे पहली ही बार में तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

(iv) निविदा दस्तावेजों के सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित और उपयुक्त रूप से संख्यांकित होने चाहिए और अग्रेषण पत्र पर कुल पृष्ठ संख्या अवश्य ही इंगित की जानी चाहिए। अग्रेषण-पत्र फर्म का आधिकारिक पत्र-शीर्ष होना चाहिए।

(v) तकनीकी बोलियों को निर्धारित तारीख और समय अर्थात **30.12.2016** को अपराह्न **04:00** बजे निविदाकारों के प्रतिनिधियों, यदि कोई हैं, जो उस समय मौके पर उपस्थित होना चाहते हैं, की उपस्थिति में आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियत समिति द्वारा कमरा संख्या **303**, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में खोला जाएगा।

(vi) केवल उन्हीं निविदाकारों की वाणिज्यिक बोलियां खोली जाएंगी जो व्यवस्थित रूप में पाई जाएंगी। वाणिज्यिक बोलियां खोलने की तारीख के संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा। वित्तीय बोलियां, वे निविदाकार जो उस समय उपस्थित रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त समिति द्वारा खोली जाएंगी।

(vii) सफल बोलीदात्ता को निविदा दिए जाने के एक सप्ताह के अंदर रु. 60,000/- (साठ हजार रुपए मात्र) की निष्पादन सिक्यूरिटी "वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग", के पक्ष में विधिवत रूप से दृष्टिबंधित एफडीआर या बैंक गारंटी के रूप में जमा करवानी आवश्यक है।

(viii) यह विशेष रूप से नोट किया जाए कि अवास्तविक, अव्यवहार्य और तुच्छ कीमतों अर्थात् "मुफ्त या मानार्थ" वाले कोटेशने जो कि संपूर्ण निविदा प्रक्रिया को दूषित करने और संविदा हथियाने मात्र के लिए हों, को तुरन्त अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

(ix) भारत निर्वाचन आयोग किसी भी अथवा सभी निविदाओं को किसी भी चरण पर बिना कोई कारण बताए अंशत: या पूर्णत: स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि निविदा को निविदाकार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा कराया जाता है तो निविदा निविदाकार के विधिक मुख्तारनामे के अधीन अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत की जाएगी।

(x) निविदा का मूल्य शून्य है। निविदा दस्तावेज अहस्तांतरणीय हैं।

(xi) अधोहस्ताक्षरी निविदा स्वीकार करने वाले अधिकारी होंगे और इसमें इसके पश्चात इस संविदा के प्रयोजनार्थ इस रूप में संदर्भित किया जाएगा।

2. पात्रता शर्तें

फर्में तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करवाएंगी और ऐसा न होने पर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा:

(i) कम्पनी रजिस्ट्रार से पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
(ii) सेल्स टैक्स संख्या/ टिन संख्या के साक्ष्य (नवीनतम चालानों की प्रति संलग्न करनी चाहिए)।
(iii) पैन कार्ड संख्या की प्रति।
(iv) ईएसआईसी के साथ पंजीकरण की प्रति।

(v) पिछले तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की आयकर विवरणी की प्रति।

(vi) पिछले तीन में से कम से कम एक वित्तीय वर्ष में अपेक्षित न्यूनतम वार्षिक टर्नऑवर रु.20 लाख होना अपेक्षित है। वार्षिक टर्नऑवर के प्रमाण में पिछले तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के तुलन-पत्र लेखा परीक्षित रूप में प्रस्तुत करने होंगे।

(vii) फर्म को पूर्व में ब्लैकलिस्ट / प्रतिबंधित तथा विवर्जित नहीं किया गया होना चाहिए। फर्म को इसके लिए नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ-पत्र के साथ एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(viii) विगत पांच वर्ष के दौरान मंत्रालयों / विभागों / पीएसयू में इसी प्रकार की सेवाएं प्रदान कराने के पूर्व-अनुभव का विवरण संलग्न करना चाहिए।

(ix) पिछले तीन वर्ष के दौरान न्यूनतम 10 लाख रु. और अधिक की धनराशि के एक या 5 लाख रु. या अधिक की धनराशि दो कार्यों के संबंध में संतोषजनक फोटोकॉफी सेवाएं प्रदान करने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

(x) रु. 30,000/- (तीस हजार रुपय मात्र) की घरोहर जमाराशि, जो वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में डिमॉड ड्राफ्ट के माध्यम से हो।

टिप्पणीः- यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी विवरण गलत / मिथ्या पाया जाता है तो फर्म के, उसके मालिक के नाम सहित ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

3. <u>सामान्य शर्ते</u>

(i) फर्म के लिए अपेक्षित है कि वह नवीनतम मॉडल की 2 नई हैवी ड्यूटी फोटोकॉपीयर मशीनें उपलब्ध कराए जिसमें डुप्लेक्स सुविधाएं, छंटाई, संकलन तथा बाइंडिंग सुविधाएं हो, जिसमें 55 कॉपी प्रति मिनट की न्युनतम स्पीड हो (इन मशीनों के क्रय बीजक सहित) तथा हैवी ड्यूटी स्पाइरल बाइंडिंग मशीन हो। निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यकता होने पर फर्म को निर्वाचन आयोग परिसर में और मशीने लगानी पड़ सकती हैं।

(ii) फर्म को दो अनुभवी ऑपरेटर-सह-इंजीनियर नियुक्त करने चाहिए तथा वे अनुभाग अधिकारी (भण्डार एवं क्रय अनुभाग) को सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक रिपोर्ट करेंगे। शनिवार/रविवार/बंद अवकाश दिनों के लिए मांग पर सेवाओं की अपेक्षा की जा सकती है। तथापि, यह निर्वाचन आयोग की सुविधानुसार पूर्व-सूचना दिए बिना बदले जाने की शर्त के अधीन है। अत्यधिक क्रियाकलापों वाले दिनों के दौरान, फर्म को आवश्यकता होने पर, निर्धारित समय के बाद भी सेवाएं उपल्बध करानी होंगी।

(iii) स्थान तथा बिजली भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि उपकरण का रख-रखाव (यह सुनिश्चित करना कि ये बिल्कुल सही तरह से कार्य करें) जिम्मेदारी फर्म की होगी।

(iv) सभी अपेक्षित उपभोज्य पदार्थों जैसे टोनर, ड्रम, स्पेयर पार्ट्स तथा पेपर (किसी प्रतिपिठत ब्रांड के 75 जी एस एम से कम नहीं) की जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा सेट बनाने / स्पाइरल बाइंडिंग के लिए सभी सामग्री फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) दस्तावेजों / सामग्री की स्पाइरल बाइंडिंग से संबंधित कार्य के लिए फर्म के परिसरों का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते निर्वाचन आयोग में प्रभारी अधिकारी की पूर्व-स्वीकृति हो।

(vi) फर्म को संविदा का संविदात्मक मूल्य मासिक आधार पर डिमाण्ड स्लिप तथा संबंधित अवधि के दौरान फर्म के संतोषजनक निष्पादन के आधार पर अदा किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, फर्म को प्रत्येक माह

के समाप्त होने के पश्चात् संबंधित अधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तथा मुहर लगे हुए मांग-पत्र सहित अपने दावे के रसीदी सहित बिल / बीजक जमा करना चाहिए।

(vii) संविदा, प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी जिसे फर्म द्वारा संतोषजनक सेवाएं देने की शर्त के अधीन उन्हीं दरों, नियमों एवं शर्तों पर और दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

(viii) भारत निर्वाचन आयोग को संविदाकार / फर्म के निष्पादन तथा प्रदत सेवाओं के असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में **7** दिनों का नोटिस देते हुए संविदा समाप्त करने का अधिकार है।

(ix) संविदा को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात असफल निविदाकारों की घरोहर जमाराशि बिना किसी ब्याज के जारी कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की घरोहर जमाराशि फर्म द्वारा निर्वाचन आयोग के पास निष्पादन सुरक्षा जमा किए जाने के बाद ही बिना किसी ब्याज के जारी की जाएगी।

(x) यदि बोलीदाता बोली / निविदा वापिस होता है या इसमें परिवर्तन करता है या यदि सफल बोलीदाता नियत अवधि के भीतर संविदा पर हस्ताक्षर नहीं कर पाता है या स्वीकार नहीं करता है तो घरोहर जमाराशि जब्त कर ली जाएगी। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी निविदाकारकों द्वारा निविदा **(**निविदाओं**)** को समय से पूर्व वापस लेने पर भी घरोहर जमाराशि जब्त कर ली जाएगी।

(xi) भारत निर्वाचन आयोग किसी भी निविदा को, उसका कोई कारण बताए / विनिर्दिष्ट किए बिना सम्पूर्णतः या किसी भाग को अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ह/-

(ए.एन. दास)
सचिव

अनुबंध-क

<u>वाणिज्यिक बोली</u>

क्रम संख्या	**कार्य क्षेत्र**	**प्रति पृष्ठ दर**
1.	A4 आकार के दस्तावेज की फोटोकॉपी करना (सिम्प्लेक्स)	
2.	A4 आकार के दस्तावेज की फोटोकॉपी करना (डुप्लेक्स)	
3.	लीगल साइज दस्तावेज की फोटोकॉपी करना (सिम्प्लेक्स)	
4.	लीगल साइज दस्तावेज की फोटोकॉपी करना (डुप्लेक्स)	
5.	A3 आकार के दस्तावेज की फोटोकॉपी करना (सिम्प्लेक्स)	
6.	A3 आकार के दस्तावेज की फोटोकॉपी करना (डुप्लेक्स)	
7.	प्रति 1000 पृष्ठों के लिए संकलन शुल्क	
8.	अग्र भाग पर पारदर्शी शीटों तथा पृष्ठ भाग पर ठोस शीट के साथ स्पाइरल बाइंडिंग (50 शीट तक)	
9.	अग्र भाग पर पारदर्शी शीटों तथा पृष्ठ भाग पर ठोस शीट के साथ स्पाइरल बाइंडिंग (51 से 100 शीट तक)	
10.	अग्र भाग पर पारदर्शी शीटों तथा पृष्ठ भाग पर ठोस शीट के साथ स्पाइरल बाइंडिंग (101 से 151 शीट तक)	
11.	अग्र भाग पर पारदर्शी शीटों तथा पृष्ठ भाग पर ठोस शीट के साथ स्पाइरल बाइंडिंग (151 शीट से अधिक)	

टिप्पणीः- मैं, एतद्द्वारा निविदा दस्तावेज के सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने तथा इनका पालन करने का वचन देता हूं।

हस्ताक्षर

नाम

फर्म की मुहर